न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारीः—   राकेश कुमार न्योल

प्रकरण सख्या:— 38 / 24   निर्णय दिनांक 16.08.2024

1 श्री मंगला पिता गला डामोर जाति डामोर निवासी भाटीया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

2 जाजम पत्नि गला डामोर जाति डामोर निवासी भाटीया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

वादीगण

बनाम

1 जेणी पिता वागा डामोर निवासी भाटीया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

2 जशोदा पिता वागा डामोर निवासी भाटीया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

3 जाजी पिता वागा डामोर निवासी भाटीया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

4 राजी पिता सुफरा डामोर निवासी भाटीया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

5 अमरी पिता सुफरा डामोर निवासी भाटीया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

6 हंती पत्नि सुफरा डामोर निवासी भाटीया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

7 रामा पिता श्यामा डामोर निवासी भाटीया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

8 धना पिता शयामा डामोर निवासी भाटीया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

9 रेवा पिता धुला डामोर निवासी भाटीया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

10 चम्पा पत्नि धुला डामोर निवासी भाटीया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

11 सना पिता हाथी डामोर निवासी भाटीया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

12 रमण पिता गला डामोर निवासी भाटीया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

13 श्री भुमिधारी तहसीलदार तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए व 209 राजस्थान काश्तकार अधिनियम सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी

उपस्थित :—श्री बालगोविन्द पाटीदार वादीगण की ओर से
श्री कर्तव्य शाह, धवल पटेल, कालुराम डामोर प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादीगण व प्रतिवादीगण ग्राम भाटीया के स्थायी निवासी होकर एक ही परिवार के सदस्य है तथा मेहनत मजदुरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते है। प्रतिवादी संख्या 11 जो वादीगण का सगाभाई व पुत्र होने व वर्तमान में रोजगार को लेकर बाहर होने से फॉर्मल पक्षकार बनाया गया है। खातेदार वाली पत्नि वागा की मौत हो चुकी है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की विरासती खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया में खाता संख्या 190, खसरा नम्बर 184, खेत किता 1, रकबा 0.1700 हैक्टेयर में हिस्सा होकर स्थित है।इसी प्रकार मौजा भाटीया में खाता संख्या 197, खसरा नम्बर 533, 534 खेत किता 2 कुल रकबा 0.7204 हैक्टेयर में हिस्सा होकर स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

इसी प्रकार मौजा भाटीया में खाता संख्या 196 खसरा नम्बर 689/524 खेत किता 1, कुल रकबा 1.7078 हैक्टेयर में हिस्सा होकर स्थित है। जिनका पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है--

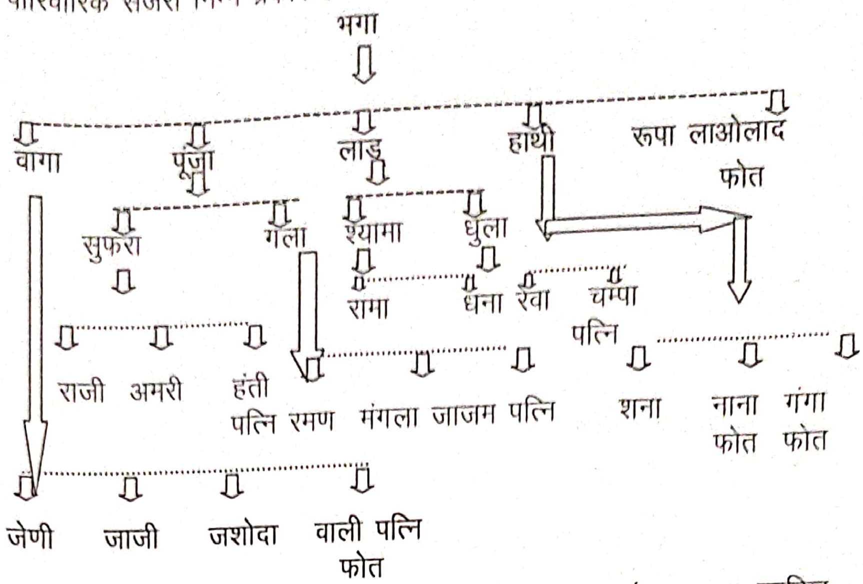

जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण अपने हिस्से के अनुसार संयुक्त रूप काविज होकर कृषि कार्य करते है। मुलपुरूष रूपा लाओलाद फोत हो गए है। जिनका अपने जीवनकाल में विवाह नहीं हुआ था। कोई पुत्र व पुत्री संतान नहीं है। जो अपने जीवनकाल में अपने सगे भाई पुंजा के पुत्र गला के घर पर रहकर जीवन यापन किया गया है। उनके भरण पोषण, सेवा चाकरी एवं मरणोपरान्त कियाकर्म गला पिता पुंजा द्वारा किया गया है। वाद कारण इस पकार है कि वादीगण को जानकारी हुई कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा एक बंटवारे का वाद श्री मान न्यायालय में खातों का अलग अलग कायम करने को लेकर प्रस्तुत किया गया है। वादीगण ने वाद के कॉलम संख्या 2 में आराजी भूमि की हाल जमावंदी नकल निकलवाई तो पता चला कि ग्राम भाटीया में खाता संख्या 190, खसरा नम्बर 184, खेत किता 1, रकबा 0.1700 हैक्टेयर में रूपा पिता भगा के फोत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 11 ने उक्त भुमि अपने नाम रिकॉर्ड में दर्ज करा दी है। इसी तरह मौजा भाटीया में खाता संख्या 197, खसरा नम्बर 533, 534 खेत किता 2 कुल रकबा 0.7204 हैक्टेयर में भी रूपा पिता भगा के फोत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने उक्त भुमि अपने नाम रिकॉर्ड में दर्ज करा दी है। इसी तरह मौजा भाटीया में खाता संख्या 196 खसरा नम्बर 689/524 खेत किता 1, कुल रकबा 1.7078 हैक्टेयर में भी रूपा पिता भगा के फोत होने पर प्रतिवादी संख्या 4 से 6 ने अपने नाम रिकॉर्ड में दर्ज करा दी है। जबकि उक्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से की कब्जे काश्त आराजी मे काश्त करते आ रहे है। वादीगण ने नामान्तरण की नकल पटवारी से मिलकर निकलवाई तो पता चला कि रूपा पिता भगा कुंवारा फोत होने पर उनके भतीजों के नाम उक्त खाते को अमल दराज किया गया है। जबकि रूपा पिता भगा डामोर की जीवनकाल में सेवा चाकरी का सम्पुर्ण कार्य वादीगण द्वारा किया गया है। उसके बावजुद वादीगण को धोखे में रखकर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 व 11 द्वारा नियम व विधिविरूद्ध नामान्तरण संख्या 85, 86 व 312 को खुलवाकर भारी भुल की गई है। जबकि नियमानुसार रूपा पिता भगा के फोत होने पर वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम नामान्तरण दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक था। जिसको लेकर वादीगण ने प्रतिवादीगण को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन समझने को तैयार नहीं हो रहे है। जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया जो म्याद अवधि मे वाद प्रस्तुत है। रूपा द्वारा अपने जीवनकाल में किसी व्यक्ति को गोद नहीं रखा था।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

ना ही वादग्रस्त आराजी का कोई हिस्सा प्रतिवादीगण या किसी अन्य को हस्तातंरित किया था। ना ही ऐसा कोई दस्तावेज रूपा द्वारा अपने जिवितकाल में प्रतिवादीगण के नाम संपादित किया था। जिसके आधार पर रूपा के कब्जे काश्त की विरासती खातेदारी आराजी रूपा की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो। ऐसे में रूपा की खातेदारी आराजी पर रूपा के चारों भाईयों वागा, पुंजा, लाडू व हाथी के वारिसानों का रूपा की भुमि पर कब्जा व हक है। ऐसे में नियमाननुसार रूपा की विरासती आराजी को रूपा के लाओलाद फोत होने पर रूपा के चारों भाईयों के विधिक वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त रूप से दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। सम्पुर्ण वाद ग्ररत आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की विरासती आराजी है। रूपा पिता भगा की आराजी पर भी लगातार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। जिसका मौके व रिकॉर्ड में बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 व 11 द्वारा राजस्व कर्मचारी से मिलीभगत कर अपने नाम नामान्तरण दर्ज करा दिया है। तथा न्यायालय में बंटवारे का वाद प्रस्तुत कर जमीन हडपना चाहते है। जबकि उक्त आराजी पर लम्बे समय से वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किये जाने आवश्यक हैकि प्रतिवादीगण वादीगण की वादग्रस्त आराजी ग्राम भाटीया में खाता संख्या 190, खसरा नम्बर 184, खेत किता 1, रकबा 0.1700 हैक्टेयर में हिस्सा होकर स्थित है। इसी प्रकार मौजा भाटीया में खाता संख्या 197, खसरा नम्बर 533, 534 खेत किता 2 कुल रकबा 0.7204 हैक्टेयर में हिस्सा होकर स्थित है। इसी प्रकार मौजा भाटीया में खाता संख्या 196 खसरा नम्बर 689/524 खेत किता 1, कुल रकबा 1.7078 हैक्टेयर में कोई हिस्सा विक्रय, रहन, बक्षीस न करे न ही ऐसा कोई दस्तावेज सम्पादीत करे जिससे राजस्व रेकोर्ड का कोई हिस्सा हस्तान्तरीत माना जावे तथा वादीगण को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे।

इस प्रकार वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर दाद चाही है।

1 वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की विरासती आराजी ग्राम भाटीया में खाता संख्या 190, खसरा नम्बर 184, खेत किता 1, रकबा 0.1700 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 11 के साथ वादीगण मंगला पिता गला, जाजम पत्नि गला, प्रतिवादी राजी पिता सुफरा, अमरी पिता सुफरा, हंती पत्नि सुफरा, रामा पिता श्यामा, धना पिता श्यामा, रेवा पिता धुला डामोर, चम्पा पत्नि धुला डामोर, रमण पिता गला को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

2 वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की विरासती आराजी मौजा भाटीया में खाता संख्या 197, खसरा नम्बर 533, 534 खेत किता 2 कुल रकबा 0.7204 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के साथ वादीगण मंगला पिता गला, जाजम पत्नि गला, प्रतिवादी रामा पिता श्यामा, धना पिता श्यामा, रेवा पिता धुला डामोर, चम्पा पत्नि धुला डामोर, सना पिता हाथी, रमण पिता गला को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

3 वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की विरासती आराजी मौजा भाटीया में खाता संख्या 196 खसरा नम्बर 689/524 खेत किता 1, कुल रकबा 1.7078 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 4 से 6 के साथ वादीगण मंगला पिता गला, जाजम पत्नि गला, प्रतिवादी जेणी पिता वागा, जाजी पिता वागा, जशोदा पिता वागा, रामा पिता श्यामा, धना पिता श्यामा, रेवा पिता धुला डामोर, चम्पा पत्नि धुला डामोर, सना पिता हाथी, रमण पिता गला को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

वादीगण द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरीए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण न्यायालय में जरीए अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम भाटीया में खाता संख्या 190, खसरा नम्बर 184, खेत किता 1, रकबा 0.1700 हैक्टेयर में हिस्सा होकर स्थित है। इसी प्रकार मौजा भाटीया में खाता संख्या 197, खसरा नम्बर 533, 534 खेत किता 2 कुल रकबा 0.7204 हैक्टेयर में हिस्सा होकर स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

इसी प्रकार मौजा भाटीया में खाता संख्या 196 खसरा नम्बर 689/524 खेत किता 1, कुल रकबा 1.7078 हैक्टेयर में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम जोडने को लेकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार कर निर्णय करने को लेकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार सीमलवाडा द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया।

विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी वकील वादी ने वक्त बहस वाद में अंकित तथ्य को दौहराते हुए तर्क दिया की रूपा की खातेदारी आराजी पर रूपा के चारों भाईयों वागा, पुंजा, लाडू व हाथी के वारिसानों का रूपा की भुमि पर कब्जा व हक है। ऐसे में नियमाननुसार रूपा की विरासती आराजी को रूपा के लाओलाद फोत होने पर रूपा के चारों भाईयों के विधिक वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त रूप से दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। ऐसे में ग्राम भाटीया में खाता संख्या 190, खसरा नम्बर 184, खेत किता 1, रकबा 0.1700 हैक्टेयर में हिस्सा होकर स्थित है। इसी प्रकार मौजा भाटीया में खाता संख्या 197, खसरा नम्बर 533, 534 खेत किता 2 कुल रकबा 0.7204 हैक्टेयर में हिस्सा होकर स्थित है। इसी प्रकार मौजा भाटीया में खाता संख्या 196 खसरा नम्बर 689/524 खेत किता 1, कुल रकबा 1.7078 हैक्टेयर में वादीगण व प्रतिवादीगण का नाम जोडकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

हमने उभय पक्ष वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपस्थित साक्ष्य व दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है। ओर खातेदार काश्तकार अपने खातेदारी आराजी को सुरक्षित रखने व उपयोग उपभोग करने का अधिकारी है। दस्तावेजी साक्ष्य से साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण का हक एवं अधिकार है। ऐसे में वे वादग्रस्त आराजी ग्राम भाटीया में खाता संख्या 190, खसरा नम्बर 184, खेत किता 1, रकबा 0.1700 हैक्टेयर में हिस्सा होकर स्थित है। इसी प्रकार मौजा भाटीया में खाता संख्या 197, खसरा नम्बर 533, 534 खेत किता 2 कुल रकबा 0.7204 हैक्टेयर में हिस्सा होकर स्थित है। इसी प्रकार मौजा भाटीया में खाता संख्या 196 खसरा नम्बर 689/524 खेत किता 1, कुल रकबा 1.7078 हैक्टेयर में वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करना उचित समझता हू।

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया में खाता संख्या 190, खसरा नम्बर 184, खेत किता 1, रकबा 0.1700 हैक्टेयर, इसी प्रकार मौजा भाटीया में खाता संख्या 197, खसरा नम्बर 533, 534 खेत किता 2 कुल रकबा 0.7204 हैक्टेय, इसी प्रकार मौजा भाटीया में खाता संख्या 196 खसरा नम्बर 689/524 खेत किता 1, कुल रकबा 1.7078 हैक्टेयर में वादीगण मंगला पिता गला, जाजम पत्नि गला, प्रतिवादी संख्या 12 रमण पिता गला का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 जेणी पिता वागा, जशोदा पिता वागा, जाजी पिता वागा का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 से 6 राजी पिता सुफरा, अमरी पिता सुफरा, हंती पत्नि सुफरा का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 से 10 रामा पिता श्यामा, धना पिता श्यामा, रेवा पिता धुला डामोर, चम्पा पत्नि धुला डामोर का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 सना पिता हाथी का 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित करने आदेश किया जाता है। डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

राकेश कुमार न्योल
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 16.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राकेश कुमार न्योल
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

डिकी व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)
(सिविल प्रोसीजरकोड, एपेन्डियस डी–1)

अज अदालत उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

इजलास श्री उपखंड अधिकारी सीमलवाडा श्री राकेश कुमार न्योल

प्रकरण संख्या– 38/2024 रेवेन्यु

मंगला वगैरह बनाम जेणी वगैरह

वाद अर्न्तगत धारा 88, 188, 92 ए व 209 राटीएक्ट

यह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू:– श्री राकेश कुमार न्योल
व हाजरी:–

श्री बालगोविन्द पाटीदार मिनजानिब मुदई उपस्थित व कर्तव्य शाह, धवल पटेल, कालुराम डामोर मिनजानिब मुदायलाह की ओर, कार्यवाही का होकर हुक्म दिया जाता है डिकी दी जाती है कि–

वादीगण व प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया में खाता संख्या 190, खसरा नम्बर 184, खेत किता 1, रकबा 0.1700 हैक्टेयर, इसी प्रकार मौजा भाटीया में खाता संख्या 197, खसरा नम्बर 533, 534 खेत किता 2 कुल रकबा 0.7204 हैक्टेय, इसी प्रकार मौजा भाटीया में खाता संख्या 196 खसरा नम्बर 689/524 खेत किता 1, कुल रकबा 1.7078 हैक्टेयर में वादीगण मंगला पिता गला, जाजम पत्नि गला, प्रतिवादी संख्या 12 रमण पिता गला का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 जेणी पिता वागा, जशोदा पिता वागा, जाजी पिता वागा का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 से 6 राजी पिता सुफरा, अमरी पिता सुफरा, हंती पत्नि सुफरा का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 से 10 रामा पिता श्यामा, धना पिता श्यामा, रेवा पिता धुला डामोर, चम्पा पत्नि धुला डामोर का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 सना पिता हाथी का 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित करने आदेश किया जाता है।

दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 16.08.2024 को जारी की गई

दस्तखत. . . . .
ओहदा. . . . .
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

मुदई	रूपया/पैसा	मुदायलाह	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प व जेह सबुत		मेहनतनामा वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
फीस कमीश्नर		फिस कमीश्नर	
खर्चा गवाहान		बाबत इजराय हुक्मनामा	
बबत इजराय हुक्मनामा		मुतफरिक	
मुतफरिक			
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner